प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 31 मार्च, 2017**

विषय :- कार्यालय के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर/कार्यालय सहायक संबंधी देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1.66683 लाख (रूपया एक लाख छियासठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-1448/कम्प्यू आ0/2016-17, दिनांक 30 मार्च, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-03/2017/288/58-2-2017-300(17)/2016, दिनांक-28.03.2017 द्वारा कार्यालय के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर/कार्यालय सहायक संबंधी देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1.66683 लाख (रूपया एक लाख छियासठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) अवमुक्त किये जाने के निमित्त '16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई है।

3. उक्त संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पूर्व संचालित केन्द्रीय योजना 'राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन' में गत वर्षों के दायित्वो के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1673 हजार (रूपया सोलह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उपलब्ध धनराशि में से कार्यालय के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर आपरेटर/कार्यालय सहायक संबंधी देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1.66683 लाख (रूपया एक लाख छियासठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक ,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रकआहरण वितरण अधिकारी/ एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त धनराशि की पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-15/2017/234(1)/58-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in